

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 8/1/21

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट 11/2021/17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/
बीकानेर/बून्दी/चित्तौडगढ/रतनगढ/धौलपुर/
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर-प्रथम/जैसलमेर/
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ/बारां/
राजसमन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ (राज0)।

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु दिनांक 27.01.2021 को काउंसलिंग किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2020-21 में चयन के लिए 27.01.2021 को काउंसलिंग की जानी है, के संबंध में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.5 (330)/चि.स्वा./गुप-3/97 दिनांक 01.01.2021 के क्रम में जारी निर्देश निदेशालय के पृष्ठांकन क्रमांक : 11 दिनांक 07.01.2021 के द्वारा भिजवाये गये है, की अक्षरशः पूर्ण रूपेण पालना की जावे। अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक :

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट 11/2021/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की बेवसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई-मेल करने का श्रम करे।
3. रक्षित/आदेश कार्यालय प्रति।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर